

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 161/प्र030-भवन/ओन-2/प्रस्ता0/2013 14 दिनांक 19/01/2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में किरा पर विद्यालय विस्तार भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार या किरा स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किरा के गिरफ्तार या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 बन्धना सबसेना प्रिन्सिपल, महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा आराजी संख्या-202 एवं 242 गौजा-कसारी मसारी, तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जून संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित विद्यालय विस्तार भवन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष गणेश्वर के अनुमोदनपत्र दिनांक 05.07.2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिगम किया जाएगा, भवन निर्माण एवं विकास अधिनियम 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तित (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तों पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 105 अदद वृक्ष लगाना होगा तथा पृथो को हरा-गरा रखने का दायित्व संस्था का होगा।
5. स्थल का अधिनियम/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
6. सेनावाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा बैंक गारन्टी अवगुना किया जायेगा।
7. उप निदेशक फायर सर्विस, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2014/4083/ALD/ALLAHABAD/17/DD दिनांक 25.10.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
8. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित निर्माण भूकम्परोधी मानकों के अनुसार ही किया जाय। स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।
9. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।

Continued

Deco
 (Sudhakar Swain)
 945430/035

यह योजना विनियम बरतित है। भूखण्ड प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परियोजना का कार्यान्वयन करवाया जाएगा।

SHEET NO. 1



आ. शिखर
 संस्थापक/प्रधान-प्राचार्य
 माहाश्री शिक्षा संस्थान
 इलाहाबाद

पूरा पत्र नियंत्रक इलाहाबाद

क. शिखर
 सिविल इंजीनियर
 इलाहाबाद

क. शिखर
 आ. शिखर (P. E.)
 इलाहाबाद

10/10/2012
 4/1/2015



PROPOSED PRIMARY SCHOOL BUILDING AT
 ARAZI NO. 202 & 242, SITUATED AT MALUZA
 KASARI-MASARI, PARGANA & TEHSIL - SADAR
 ALLAHABAD.

OWNER - MAHARISHI SHIKSHA SANSTHAN
 DR. VANDANA SAXENA PRINCIPAL

KEY PLAN



SITE PLAN

For N.O.C.

क. शिखर
 आ. शिखर (P. E.)
 इलाहाबाद

OWNER SIG.	ARCHITECT SIG.
MAHARISHI SHIKSHA SANSTHAN DR. VANDANA SAXENA ALLAHABAD	

